The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment)Act, 1970

Act 6 of 1971

Keyword(s):
Sugarcane, Cane, Cane Grower, Factory

Amendments appended: 2 of 1972, 10 of 1976, 34 of 1976, 17 of 2006, 23 of 2008, 8 of 2019, 19 of 2020, 5 of 2021, 38 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 ई०, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में संशोधन सहित पारित किया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 को दुबारा पारित किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के लिये — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

(2) यह 30 जून, 1970 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 2 में, खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो 1 अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 30 जून को समाप्त हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो 1 अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 15 जुलाई को समाप्त हो" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1970 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 21 दिसम्बर, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

Price. 05

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 331 जनरल (लग०)—1971—1,834+50 S. S. (मे०) ।

L.A. 15/72.2
cop.3

135682

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 जनवरी 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 1953 ई० की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में धारा 17 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(5) (क) पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्टरी का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्टरी के कार्यकलापों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबंध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर अग्रिम धनराशि देने के लिये सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति उस अनुबन्ध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम की कुल धनराशि का

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 5 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

एक नियत प्रतिशत अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों को फैक्ट्री के लिये चालू पेराई के मौसम में उन गन्ना उत्पादकों से या उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके सम्बन्ध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबन्ध की एक प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग) 'इकाई' या 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने अथवा उसके उत्पादन में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो यंत्र-शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो;"

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (5) में—

(1) शब्द "शक्कर उप-आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय;

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3-क के अनुसार वसूल होने योग्य कर की दशा को छोड़कर" रख दिये जायें।

(3) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई के स्वामी द्वारा अपील किये जाने की दशा में, शक्कर आयुक्त किसी ऐसी अपील को, जो उसके पास विचाराधीन हो, किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है, और किसी ऐसी अपील को वापस भी ले सकता है और उसका निस्तारण या तो स्वयं करेगा अथवा उसे किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है।"

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना और वर्तमान धारा 3-क को 3-कक के रूप में पुनः संख्यांकन

5—मूल अधिनियम की धारा 3-क की संख्या बदलकर 3-कक कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 3-कक के पहले निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

फैक्टरी से शक्कर हटाने के पूर्व कर का भुगतान

"3-क (1)—किसी फैक्टरी का कोई स्वामी दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 को अथवा उसके पश्चात् जिसे आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है फैक्टरी में उत्पादित किसी शक्कर को, उपभोग के लिए अथवा बिक्री के लिए, या फैक्टरी के भीतर अथवा उसके बाहर कोई अन्य पदार्थ निर्मित करने के लिए तब तक न हटायेगा और न उसे हटवायेगा जब तक कि उसने धारा 3 के अधीन लगाये गये कर का, जो, यथास्थिति, उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट धनराशि होगी, भुगतान न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी शक्कर ऐसी किसी धनराशि का भुगतान किये बिना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी गोदाम अथवा अन्य संग्रह स्थान में जमा की जा सकती है, और जहां पर वह इस प्रकार जमा की जाय वहां से वह तब तक न हटायी जायगी जब तक कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे फैक्ट्री में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर फैक्ट्री के स्वामी को दी गई किसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में, उस शक्कर की, किसी बैंक के पण्यमदार के रूप में अपने अधिकारों के प्रयोग में, उसके अनुप्रेरण पर बिक्री की दायिता पर कोई प्रभाव पड़ता है।

(2) प्रत्येक पेराई के मौसम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र (और उक्त दिनांक को प्रारम्भ होने वाले पेराई के मौसम की दशा में इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र) कर निर्धारण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिए देय अस्थायी दर को पूर्ववर्ती पेराई के ऐसे मौसम के दौरान, जिसने फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा को फैक्टरी में उत्पादित शक्कर से सहसम्बद्ध करके निकालेगा और निर्दिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण 1:—यदि किसी ऐसी पूर्ववर्ती पेराई के मौसम के केवल किसी एक भाग में ही फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, तो पेराई के मौसम के उतने ही भाग पर विचार किया जाना पर्याप्त होगा जिसके दौरान फैक्टरी में वस्तुतः उत्पादन किया गया।

स्पष्टीकरण 2:—यदि फैक्टरी ने उस पेराई को मौसम के पूर्व, जिसके लिए अस्थायी कर निर्धारण किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ न किया हो, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी उसी क्षेत्र को अन्य फैक्टरियों से, यदि कोई हो, सम्बन्धित तुलनीय आधार—सामग्री अथवा किसी अन्य संगत कारण के आधार पर प्रति बोरी शक्कर के भुगतान की अस्थायी दर निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) पेराई के मौसम के अन्त में कर-निर्धारण प्राधिकारी, चालू पेराई के मौसम के दौरान फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा और फैक्टरी में उत्पादित शक्कर को ध्यान में रखकर शक्कर की प्रति बोरी के भुगतान के लिए पुनरीक्षित दर निकाल कर उसे निर्दिष्ट करेगा, और यदि ऐसे पुनरीक्षण पर दर घट या बढ़ जाय तो, यथास्थिति, अधिक या कम भुगतान की गयी धनराशि, उक्त शक्कर के शेष स्टाक पर लगायी जायगी और शक्कर की प्रत्येक ऐसी शेष बोरी को हटाने के पूर्व दी जाने वाली धनराशि तदनुसार पुनः निश्चित की जायगी, और यदि स्टाक में ऐसी शक्कर न रहे तो स्वामी, यथास्थिति, धनराशि की वापसी पाने का हकदार होगा अथवा शेष धनराशि का भुगतान करेगा।

(4) यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि उक्त शक्कर के स्टाक का कोई भाग हटा दिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है, और इस धारा के अधीन ऐसे भाग के प्रति देय कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसी कमी को उस समय के स्टाक की शक्कर पर लगा कर वसूल किया जायगा।

(5) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् क्रय किये गये गन्ने के विषय में धारा 3 के अधीन आरोपित कर के सम्बन्ध में:—

(क) धारा 3 की उपधारायें (2) तथा (3) लागू नहीं होंगी तथा कर गन्ने के क्रय के दिनांक को अथवा इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को जो भी पश्चात्वर्ती हो, देय समझा जायगा;

(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि जहां कर-निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि फैक्टरी के स्वामी ने इस धारा का उल्लंघन करके शक्कर को हटाया या हटवाया है अथवा फैक्टरी में उत्पादित या उपधारा (1) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसके द्वारा जमा की हुई शक्कर का पूर्ण लेखा देने में असफल रहा है, तो कर का देनदार व्यक्ति हटाई गई या हटवाई गई अथवा लेखाविरत शक्कर की मात्रा के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि के अतिरिक्त इस प्रकार देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अनधिक अग्रेतर धनराशि का शास्ति के रूप में देनदार होगा;

(ग) इस धारा के उपबन्ध उस धारा के (उपर्युक्त परिष्कृत) उपधारा (4) तथा उपधारा (6), (7), (8), तथा (9) के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे; तथापि उस धारा की उपधारा (8) के अधीन प्रमाण-पत्र ऐसे आपवादिक एवं पर्याप्त कारणों के सिवाय जो अभिलिखित किये जायेंगे तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि उस उपधारा में अभिदिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी की राय में खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई परिस्थिति विद्यमान है;

(घ) धारा (7) के उपबन्ध उसमें शक्कर आयुक्त के अभिदेशों के स्थान पर कर-निर्धारण प्राधिकारी के अभिदेशों को प्रतिस्थापित करते हुए लागू होंगे।"

धारा 3-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3-ख में, शब्द "शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय।

धारा 4 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3-क) में शब्द "शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिये जायं।

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी मात्रा में शक्कर हटाने अथवा हटवाने के लिये या" बढ़ा दिये जायें।

धारा 15 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में--

(1) खण्ड (ङ) में सेमीकोलन के पश्चात् आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :--

"(च) फैक्टरी में या किसी अन्य संगृह स्थान पर शक्कर की बोरियों का संग्रहण और वहां से ऐसी बोरियों का हटाना ;

(छ) धारा 3-क के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिये देय कर की धनराशि की गणना करने और देय कर के लिए इस प्रकार दी गयी धनराशि का समायोजन करने की रीति ;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये धारा 3-क में वर्तमान उपबन्ध अपर्याप्त हों और उस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उपबन्ध आवश्यक समझे जायें; और," तथा

(3) वर्तमान खंड (च) को पुनाक्षरित खण्ड (झ) कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 20, 1971 का निरसन

10--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 36 जन०(लेज०)--1972-1799+50SS (मे०)।

153893

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 10 OF 1976]

[*Authoritative English Text to the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sansodhan) Adhiniyam,* 1976]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 17, 1975.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. 24 of 1953.

2. In section 5 of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(3) The Council shall consist of the following, namely :—

(i) two representatives of the sugar factory concerned, to be nominated by the occupier ;

(ii) five cane-growers from among persons, securing the first ten places in each of the preceding three annual sugarcane production competitions organised in the reserved area by the Cane Commissioner, to be elected by the members of the committees of management of the Cane Growers Co-operative Societies functioning in the reserve area according to the system of proportional representation by means of single transferable vote :

Provided that not less than two of the five cane-growers to be chosen shall be persons holding not more than two hectares area under sugarcane cultivation during the year in which the said competition was held ;

(iii) one representative of the licensed power-driven *khandsari* manufacturing units in the reserved area, to be elected by their owners ;

(iv) the District Cane Officer ;

(v) the Sugarcane Protection Inspector ;

(vi) one representative of the company registered under the Companies Act, 1956, known as the Regional Cane Development Corporation, to be nominated by it ;

(vii) the Senior Cane Development Inspector, who shall be *ex officio* Member-Secretary.

(3-A) The members of the Council shall elect from among themselves a person, not being a Government servant, to be the Chairman of such Council." ;

[For Statement of Objects and Reasons please see Uttar Pradesh *Gazette* (Extraordinary), dated March 27, 1976].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 31, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1976).

(Recieved the Assent of the Governor on April 16, 1976 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary,* dated April 17, 1976).

PRICE 10 P

(*b*) in sub-section (4), *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided further that the term of the first council to be constituted after the promulgation of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1975, shall be one year only."

Insertion of new section 8-A.

3. *After* section 8 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely--

Supersession of Council.

"8-A. If at any time, the State Government is, after taking into consideration the explanation, if any, of the Council, satisfied that the Council has made a wilful default in the performance of any of its functions and duties under this Act, it may, by notification, supersede the Council for such period as may be specified, and shall make such arrangements for the performance of the functions and duties of the Council, during the period of supersession, as it may deem fit."

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1975, by the Ordinance mentioned in sub-section (1), anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 498 सा० (विधा०)--25-2-77--4627--1976--1837+50 S S (मे०)।

154081 L.A. 15-176 34 cat.8

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 34 OF 1976]

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Ganna* (*Poorti Tatha Kharid Viniyaman*) (*Sanshodhan*) *Adhiniyam*, 1976].

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1953.

2. In section 2 of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*j*-1), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(*j*-2) 'Inspector' means any person appointed or any officer designated as inspector under section 11 ;"

Insertion of new sections 22-A and 22-B.

3. *After* section 22 of the principal Act, the following sections shall be *inserted,* namely :—

Powers of certain officers to investigate into offences punishable under this Act.

"22-A. (1) An Inspector specially empowered in relation to cases generally or to any class of cases by the State Government, by notification, in that behalf, may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction.

(2) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Duty of officers of certain departments to report offences and to assist Inspectors.

22-B. Every officer of the Police, Revenue and Excise Departments shall be bound to give immediate information to an Inspector of all breaches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge and upon request made by an Inspector, to aid him in carrying out the provisions of this Act and the rules made thereunder."

विधान पुस्तका (राजकीय प्रकाश ...)

[For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated November 3, 1976].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 2, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 8, 1976.)

(Received the Assent of the Governor on November 16, 1976 under article 200 of the Constitution of India and was published in Part I(*a*) of the Legislative Supplement of the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated November 18, 1976).

Price 10 Paise

PSUP—A. P, 400 Sa. (Vidhayika)—20-12-76—3872—1976—1827+50 SS.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 17 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 24 of 1953

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, clause (b) shall be *omitted.*

Omission of sections 3 and 4

3. Sections 3 and 4 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 28

4. In section 28 of the principal Act, *for* the words "Board and Council" wherever occurring, the word "Council" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 3 and 4 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 provide respectively for the Constitution and the functions of the Sugarcane Board.

The functions of Sugarcane Board regarding replacement, development and region-wise classification of suitable and unsuitable sugarcane varieties, are being performed by a core committee constituted by the State Government. The Cane Commissioner, through bonding policy, imparts detailed direction pertaining to the sugarcane supply and purchase. The cane implementation committees constituted at the district level regularly monitor proportionate purchase of sugarcane and position of cane price payment during the crushing season. Since the functions of the Sugarcane Board are being performed by different committees, the existence of Sugarcane Board has become unnecessary. It has, therefore, been decided to amend the aforesaid Act to omit the provisions relating to the Sugarcane Board.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 252 राजपत्र (हि०)–(386)–2006–597(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 38 सा० विधायी–(387)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

No. 1693(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)-17-2008
Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 23 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Act, 2008.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(a) after clause (i) the following clause shall be *inserted*, namely :–

(i-i) "Ethanol" means anhydrous ethyl alcohol of minimum 99 percentage strength, produced directly either from sugarcane juice or B-Heavy molasses or both.

Explanation :— When a sugar factory produces ethanol directly from sugarcane juice of B-Heavy molasses, the recovery rate in case of such sugar factory shall be determined by considering every six hundred litres of ethanol so produced as equivalent to one ton production of sugar.

(b) *for* clause (j) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(j) 'Factory' means any premises including the precincts thereof wherein twenty or more workers are working or on any day during the preceding twelve months and in any part of which any manufacturing process connected with the production of sugar by means of vaccum pan process or ethanol either directly from sugarcane juice or molasses, including B-Heavy molasses, or both as the case may be, is being carried on or is ordinarily carried on with the aid of mechanical power."

Amendment of section 17

3. In section 17 of the principal Act in sub-section (5), in clause (a) *for* the words "on the security of sugar" the words "on the security of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

Amendment of section 3-A of U.P. Act no. 9 of 1961

4. In section 3-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-section (1), in the first and second provisos for the word "sugar" wherever occurring the words "sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane Juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

(b) in sub-section (2) *for* the words "per bag of sugar" wherever occurring, the words "per bag of sugar or per sixty litres of ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

(c) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(3) At the end of crushing season or as the case may be, immediately after the closure of the factory for the crushing season the assessing authority shall workout and specify a revised rate of payment per bag of sugar or per 60 liters of ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) by taking into account the quantity of sugarcane purchased for the factory and the sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) produced in the factory during the current crushing season, and where the rate is reduced or increased on such revision, the excess paid or the shortfall, as the case may be, shall be spread over the remaining stock of the said sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses), and the amount to be paid before removal of each such remaining bag of sugar or ethanol (directly produced form the sugarcane juice or B-Heavy molasses) be refixed accordingly, and if no such sugar or ethnol remains in stock then the owner shall be entitled to a refund or pay the balance, as the case may be."

(d) in sub-section (4) *for* the word "sugar" wherever occurring, the words "sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted.*

(e) in sub-section (5) *for* clause (b) the following clause shall be *substituted,* namely :–

"(b) sub-section (4) of that section shall apply with the modification that where the assessing authority is satisfied that the owner of a factory has removed or caused to be removed any sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) in contravention of the provision of this section or has failed to account fully for the sugar produced or ethanol (directly produced from the sugarcane Juice or B-Heavy molasses) in the factory or deposited by him under the first proviso to sub-section (1) the person liable to pay the tax shall in addition to the amount payable under sub-section (1) in respect of the quantity of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) so removed or unaccounted for, be also liable to pay by way of penalty a further sub not exceeding one hundred percent of the sub so payable."

Amendment of section 8

5. In section 8 of the principal Act, in the proviso *for* the words "any sugar" the words "any sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several Countries of the world are successfully blending ethanol in Petrol. The Government of India has made 5% ethanol blending in petrol. During experiments and researches it has been proved that approximately 25% of ethanol can successfully be blended in petrol. With a view to increasing the availability of ethanol, the Government of India has amended the Cane (Control) Order, 1966 and thereby permitted the sugar factories to produce ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses.

The Uttar Pradesh is a prominent State in producing sugarcane and sugar, even though several sugar factories could not make payment of cane price timely which makes cane growers aggressive. Under the above circumstances it has become necessary to permit the sugar factories of the State to produce ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses to improve economic condition thereof so that they may become enable to make payment of cane price timely.

It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh Cane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961 to provide for authorising sugar factories in the State to produce ethanol directly from sugarcane Juice or B-Heavy molasses.

The Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 476 राजपत्र (हि0)–(1051)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 107 सा विधायी–(1052)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

476 rph dATA 6

क्रम संख्या–151 (क-5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019

श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1448/79-वि-1–19-1(क)-7-19

लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 02 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह 12 जून, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 18 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

गन्ना के क्रय पर अंशदान

"18(1) किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अधिभोगी द्वारा किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक मन गन्ना के लिए एक अंशदान संदत्त किया जायेगा,–

(क) जहां क्रय, किसी गन्ना उत्पादक–सहकारी समिति के माध्यम से किया जाय, वहां अंशदान, गन्ना उत्पादन समिति एवं परिषद् को उसकी पूँजी/निधि में ऐसे अनुपात में संदेय होगा जैसा कि राज्य सरकार घोषित करे, तथापि परिषद् को संदेय हिस्सा पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और

(ख) जहां क्रय, प्रत्यक्षतः गन्ना उत्पादक से किया जाय वहाँ निधि में अंशदान, परिषद् को संदेय होगाः

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी फैक्ट्री एवं किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता ईकाई के लिए अंशदान की भिन्न–भिन्न दरें, विहित की जा सकती हैं :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमित प्रयोजन की दृष्टि से ऐसे अंशदान का पूर्णतः या आंशिक रूप में परिहार कर सकती है;

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय अंशदान, यथाविहित रूप में अनधिक ऐसे दरों पर होगा जिस दर पर निधि में अंशदान, खण्ड (क) के अधीन परिषद् को संदेय हो;

(3) गन्ना मूल्य के लिए लागू भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूली सहित भुगतान, ब्याज एवं वसूली से संबंधित उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन अंशदान का भुगतान और उसकी वसूली के लिए, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन्2019

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

चीनी की फैक्ट्रियों और गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अधीन फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अधिभोगी द्वारा फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता

इकाई द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक मन गन्ना के लिए कमीशन संदत्त किया जायेगा और जहाँ खरीद किसी गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से किया जाय वहाँ कमीशन, गन्ना उत्पादक समिति और परिषद को उसकी पूँजी /निधि में ऐसे अनुपात में संदेय होगा जैसा कि राज्य सरकार घोषित करे तथापि परिषद को संदेय हिस्सा पचास प्रतिशत् से अधिक नहीं होगा। कमीशन के रूप में गन्ना उत्पादक सहकारी समिति तथा परिषद को, राज्य सरकार द्वारा घोषित किये जाने वाले अनुपात में प्राप्त धनराशि, इन निकायों की वित्तीय आय का मुख्य स्रोत है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश की गन्ना विकास परिषद, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20) के अधीन यथा परिभाषित "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा के अन्तर्गत आती थीं और वे बिना किसी शर्त के आयकर संदाय से छूट प्राप्त थीं, किन्तु वर्ष 2002 में वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा में संशोधन किया गया और आयकर अधिनियम में एक स्पष्टीकरण बढ़ा दिया गया, उक्त परिषदें अपवर्जित कर दी गयीं और तत्पश्चात उक्त धारा 10(20) के उपबंधों के अधीन उक्त परिषदें दिनांक 10 अप्रैल, 2003 से बिना शर्त आयकर की छूट से वंचित हो गयीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जून 2001 को प्रवृत्त हुई धारा 194 (ज) के उपबन्धों के अधीन शीर्षक "कमीशन" के अधीन आय, आयकर के कार्यक्षेत्र के अधीन आया, आयकर अधिनियम में उक्त उपबंध के कारण शीर्षक "कमीशन" के अधीन परिषदों द्वारा प्राप्त धनराशि आयकर के उपबंध के अधीन आयी और उस धनराशि पर नियमित रूप से टी.डी.एस. की कटौती की जा रही है, जिसके कारण परिषदों को नियमित वित्तीय क्षतियां हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि शीर्षक "कमीशन" के अधीन चीनी मिलों से गन्ना विभाग के परिषदों तथा गन्ना उत्पादक सहकारी समिति को प्राप्त धनराशि भी आयकर अधिनियम, 1961 के उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कराधेय हो गयी। उपर्युक्त परिस्थितियों के अधीन समिति द्वारा की गयी गन्ना पूर्ति के संबंध में चीनी मिलों से प्राप्त "कमीशन" शीर्षक में परिवर्तन किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है।

गन्ना आयुक्त की संस्तुति पर शब्द "कमीशन" के स्थान पर शब्द "अंशदान" रखे जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 18 को प्रतिस्थापित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 जून, 2019 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए, पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1448(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)7-19
Dated Lucknow, August 5, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Chini Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2019

(U.P. Act No. 8 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 12 June, 2019.

Amendment of section 18 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. *For* section 18 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :-

Contribution purchase of cane

"18. (1) There shall be paid by the occupier of a factory or a Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Unit a contribution for every one maund of cane purchased by the factory or a Gur, Rab or Khandsari Sugar manufacturing Unit.

(a) Where the purchase is made through a cane-growers' Co-opperative Society, the contribution shall be payable to the Cane-growers' Society and the council in the capital/fund there of in such proportion as the State Government may declare, so however that the share payable to the Council shall not exceed fifty percent, and

(b)Where the purchase is made directly from the cane-grower, the contribution in the fund shall be payable to the Council :

Provided that different rates of contribution may be prescribed for a factory and for a Gur, Rab or Khandsari sugar manufacturing Unit:

Provided further that the State Government may by notification in the official *Gazette* remit in whole or in part such contribution in respect limited purpose specified in the notification.

(2) The contribution payable under clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be at such rates as may be prescribed not exceeding the rate at which the contribution in the fund may be payable to the Council under clause (a).

(3) The provisions relating to payment, interest and recovery

including recovery as arrears of land revenue, applicable to price of cane shall *mutatis mutandis* apply to payment and recovery of contribution under sub-section (1)."

U.P. Ordinance no. 4 of 2019

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcance (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. 24 of 1953) has been enacted to regulate supply and purchase of sugarcane required for use in sugar factories and Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing units. Under the Provisions of section 18 of the Act, there shall be paid by the occupier of a factory or a Gur, rab or Khandsari Sugar mannufacturing Unit a commission for every one maund of cane purchased by the factory or a Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing unit and where the purchase is made though a Cane-growers' Co-operative Society, the commission shall be payable to the cane-growers' Society and the Council in the capital/fund thereof in such proportion as the State Government may declare, so however that the share payable to the Council shall not exceed fifty percent. The amount received in the form of "Commission" to the Cane-growers' Co-operative Society and the Council, in such proportion as may be declared by the State Government is the main sorce of financial income of these bodies.

It is noteworthy in this regard that the Cane Development Councils were coming in the definition of "Local Authority" as defined in the Income Tax Act, 1961, under section 10 (20) and were exempted to pay income tax without any condition, but in the year 2002 by the Finance Act, 2002, the definition of "Local Authority" was amended and an explanation was inserted in the Income Tax Act, the said Councils were excluded and thereafter under the provisions of section 10(20) the said Councils were deprived of the unconditional remitance from Income Tax with effect from 10-04-2003.

It is also noteworthy that under the provisions of section 194(h) which came into force on 01-06-2001, the income under the title "commission" came under the purview of income tax, due to the said provision in the Income Tax Act, the amount received by the Councils under the title " Commission" came under the provision of Income Tax and T.D.S. is being deducted on that amount regularly, which causes regular financial losses to the Councils.

It may be mentioned that the amount recieved under the title "Commission" from the sugar mills, to the Councils as well as to the Cane-growers' Co-operative Society of the Sugarcane department, also became taxable under the above provisions of the Income Tax Act, 1961. Under the above circumstances, the change in the title "Commission" received from sugar

mills in respect of sugarcance supply made by the society, has become necessary in the present circumstances.

On the recommendation of the Cane Commissioner, it has been decided to amend the aforesaid Act to substitute section 18 of the said Act to replace the word "Commission" by the word "Contribution".

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no. 4 of 2019) was promulgated by the Governor on June 12, 2019.

This bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 189 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(561)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 66 सा0 विधायी–2019–(562)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

क्रम-संख्या—150

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1563/79-वि-1—20-1(क)-22-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग—3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 मई, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की नई धारा 8-ख का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

"8-ख (1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जायेगा तथा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(2) जब सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जायेगा, तब वह तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसका उत्तरवर्ती, निर्वाचित उत्तराधिकारी होगा, जो इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3-क) के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020

3–(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

चीनी के कारखानों और गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद तथा अन्य सम्बंधित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार गन्ना विकास परिषद के गठन की व्यवस्था है, जिसमें सभापति का निर्वाचन परिषद के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए रहता है। यह पाया गया कि जब सभापति ने स्वतः विनिश्चय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त किया तब परिषद के सदस्यों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे सभापति के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते, क्योंकि पूर्वोक्त अधिनियम में सभापति के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कोई उपबन्ध नहीं था, ऐसी परिस्थितियों तथा स्थितियों में ऐसा सामूहिक विनिश्चय करना सम्भव नहीं था, जो प्रजातांत्रिक भावना के प्रतिकूल था।

पूर्वोक्त विसंगतियों को दूर करने, गन्ना विकास परिषद में प्रजातांत्रिक संरचना को अनुरक्षित रखने, और परिषद के सभापति के विरूद्ध अपेक्षानुसार अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपयुक्त उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1563(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-22-20
Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020) (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Chini Udyog Anubhag-3, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 19 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 22, 2020.

Insertion of new section 8-B of U.P. Act no. 24 of 1953

2. *After* section 8-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, the following section shall be *inserted*, namely :-

Motion of Non-Confidence against Chairman

"8-B (1) A Motion expressing non-confidence against the Chairman of a Cane Development Council shall be made and proceeded with, in accordance with such procedure as may be prescribed.

(2) When a motion for non-confidence is carried the Chairman against whom it is carried shall cease to hold office forthwith and shall be succeeded by his/her elected successor who shall be elected according to sub-section (3-A) of section 5 of this Act."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 10 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. 24 of 1953) has been enacted to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in sugar factories and Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Units and other connected matters. As per provisions of section 5 of the aforesaid Act, there is constitution of cane development council, among which a Chairman is elected through the members of the council, who remains in tenure for five years. It was found that when the Chairman took undue advantage by self decision, it was not possible for the members of the Council to

move non-confidence motion against the Chairman, because there were no provision of non-confidence motion against the Chairman in the aforesaid Act, in such circumstances and situations, it had not been possible to take collective decision, which was contrary to demorcatic setup.

To remove the aforesaid anomalies, to maintain the democratic structure in the Cane Development Council and to make suitable provision in the Act for non-confidence motion as per requirement against the Chairman of the council, it had been decided to amend the aforesaid Act.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 10 of 2020) was promulgated by the Governor on May 22, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 203 राजपत्र–2020–(588)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 161 सा0 विधायी–2020–(589)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

203 RPH (Ganna) 4e fol adhi 2020

क्रम-संख्या–43(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 354/79-वि-1–21-1-क-2-21

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 01 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 22 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

चीनी के कारखानों और गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की पूर्ति तथा खरीद और अन्य सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपबंध के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी नियम या तद्धीन कृत आदेश का उल्लंघन करता है तो वह छः मास तक के कारावास या अनधिक पचास हजार रुपये जुर्माना या दोनों तथा अनवरत् उल्लंघन करते रहने की दशा में, उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन अनधिक पाँच हजार रुपये के अग्रतर जुर्माने का दायी होगा और अधिनियम की धारा 24 के अधीन, अधिनियम की धारा 22 के उपबंध का उल्लंघन किये जाने से सम्बन्धित बिन्दुओं के लिये, यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को उक्त मामले की सुनवाई करने और जुर्माना लगाने के संबंध में आदेश करने के लिये सशक्त किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु, पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल गेट और वाह्य गन्ना खरीद केन्द्रों पर पारदर्शी गन्ना खरीद प्रक्रिया का उपबन्ध किये जाने के लिये और गन्ना कृषकों के हित में गन्ने की घटतौली किये जाने के मामलों में प्रभावी उपाय करने के लिये, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 तथा धारा 24 के उपबंधों के अधीन जुर्माने की विद्यमान धनराशि "पचास हजार रुपये" से बढ़ाकर "एक लाख रुपये" करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 354(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-2-21
Dated Lucknow, March 05, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha, Khareed Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 01, 2021. The Cheeni Udyog Anubhag-3, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 5 of 2021)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from December 31, 2020.

Amendment of section 22 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. In section 22 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "rupees fifty thousand" the words "one lakh rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 24

3. In section 24 of the principal Act, for the words "fifty thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be *substituted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 23 of 2020

4. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. 24 of 1953), has been enacted to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in sugar factories and Gur, Rab or Khandasari Sugar Manufacturing Units and other connected matters. As per the provision under section 22 of the Act, if any person contravenes any of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder, he shall be liable to imprisonment upto six months or to a fine not exceeding rupees fifty thousand or both and in the case of continuing contravention to further fine not exceeding five thousand for each day during which the contravention continues and under section 24 of the Act, for the issues related to contravention of the provision of section 22 of the Act, the Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, or Additional Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Metropolitan Magistrate are empowered to hear the matter and to pass such order regarding sentence of fine.

To implement the provisions of the aforesaid Act more effectively and to provide a transparent procedure of cane purchase at the Chini mill gates and external sugarcane purchase centers during crushing season and for effective measures on the cases of short weighing of sugarcane in the interest of sugarcane farmers, it was decided to enhance the amount of fine from existing "rupees fifty thousand" to "rupees one lakh" under the provisions of sections 22 and 24 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 23 of 2020) was promulgated by the Governor on December 31, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 775 राजपत्र–2021–(1646)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 256 सा0 विधायी–2021–(1647)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट

775_RPH_2021_(poorti tatha khareed)-2021 Data-4E

क्रम-संख्या–271

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 दिसम्बर, 2021

पौष 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1092 / 79-वि-1–21-1-क-39-21

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 17 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 में:-

(एक) उपधारा (4) में, प्रतीक ' . ' के स्थान पर प्रतीक ' : ' रख दिया जायेगा;

(दो) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित "**परन्तुक**" और "**स्पष्टीकरण**" बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह विधिमान्य होगा कि गन्ना आयुक्त द्वारा वसूली प्रमाण -पत्र जारी किये जाने से पूर्व अथवा पश्चात्, किन्तु वसूली कार्यवाहियां पूरा किये जाने के पूर्व किसी भी समय यह पाया जाता है कि सम्बन्धित डिफाल्टर फैक्ट्री के कंपनी के स्वामी ने ऐसे किसी सहायक कंपनी , एसोसियेट कम्पनी या अन्य कम्पनी को किसी विधिमान्य व्यवस्था के अधीन कोई ऋण दिया हो या विनिधान किया गया हो , जो कि चीनी विनिर्माण में संलग्न हो या संलग्न न हो और जिसको किसी संविदा के अधीन कोई धनराशि, राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा परिषद् अथवा किन्ही सांविधिक नियमों के अधीन गठित किसी अन्य संस्था से प्राप्त की जा नी हो , राज्य सरकार गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऋण या विनिधान की धनराशि अथवा शेष गन्ना बकाया धनराशि के समतुल्य धनराशि को समपहृत कर सकती है और अग्रतर कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त को आवश्यक अनुदेश दे सकती है।

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त 'परन्तुक' में प्रयुक्त शब्द "कम्पनी", "सहायक कम्पनी", या "एसोसियेट कम्पनी" के वही अर्थ होंगे , जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित है।"

उद्देश्य और कारण

चीनी के कारखानों, गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की आपूर्ति तथा खरीद और अन्य सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-17 में यह उपबन्ध है कि चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में चूक किये जाने या उसका भुगतान न किये जाने की स्थिति में गन्ना आयुक्त संबंधित चीनी मिल से बकाया गन्ना मूल्य व ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र संबंधित कलेक्टर को अग्रसारित करेगा और कलेक्टर वसूली प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति करेगा।

प्रायः देखा गया है कि गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने में चीनी मिलों द्वारा विलम्ब किया जाता है जिसके कारण उन्हें वित्तीय कठिनाइयाँ और रबी की समय से बुआई में विलम्ब के कारण आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है। वर्णित स्थिति में गन्ना मूल्य के बकाया का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने तथा कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्रतापूर्वक कराने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में यह उपबन्ध किये जाने का विनिश्चय किया गया है कि यदि सम्बन्धित डिफाल्टर चीनी मिल/इकाई/कम्पनी ने किसी सहायक कम्पनी, सहयुक्त कम्पनी या अन्य कम्पनी को विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई ऋण दिया हो अथवा ऐसे कारबार में विनिधान किया हो जो उस सहयुक्त कम्पनी, सहायक कम्पनी द्वारा चीनी के क्षेत्र में अथवा राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्र में किया जा रहा हो जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विभाग या उस कारबार से संबंधित सांविधिक नियमों के अधीन गठित कोई निगम या बोर्ड या कोई अन्य संस्था आच्छादित है। उक्त के लिये धारा-17 की उपधारा (4) में परन्तुक तथा स्पष्टीकरण बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 1092(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-39-21
Dated Lucknow, December 27, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Khareed Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 38 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Cheeni Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 38 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy - second Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Act, 2021.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force with effect from the date of publication in the *Gazette.*

Amendment of section 17 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 :-

(i) in sub-section (4) for the symbol '.', the symbol ':' shall be *substituted;*

(ii) *after* sub-section (4) the following **"proviso"** and **"explanation"** shall be *inserted,* namely:–

"Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, it shall be lawful that before or after the issue of recovery certificate by the Cane Commissioner but at any time before the completion of the recovery proceedings, if it is found that the owner of the company of the concerned defaulter factory has given any loan or done investment under any legal arrangement to a subsidiary company, associate company or other company that is engaged or not engaged in manufacturing of sugar, and to whom under any contract, any amount is to be received from any Department of the State Government or from any Corporation or Board or any other institution constituted under any statutory rules, the State Government may for the purpose of ensuring payment of cane price arrears of sugarcane farmers, forfeit the loan or investment amount or an amount equivalent to the outstanding cane arrear amount and give necessary instructions to the Cane Commissioner to take further action.

Explanation- The words "company", "subsidiary company" or "associate company" used in the poviso above shall have the meanings respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013)."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (Uttar Pradesh Act no. 24 of 1953) has been enacted to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in Sugar Factories, Gur, Rab or Khandsari sugar manufacturing units and other related matters. Section-17 of the said Act, provides that in case of default and non-payment of cane price by the sugar mill, the Cane Commissioner shall forward the Recovery Certificate to the concerned Collector for recovery of outstanding cane price and interest from the concerned sugar mill, and the Collector shall recover such amount as mentioned in the Recovery Certificate as arrears of land revenue.

It has often been observed that the payment of cane price to sugarcane farmers gets delayed by the sugar mills due to which they face financial difficulties and also economic loss due to delay in timely sowing of Rabi crops. It has become imperative, in the described situation, to frame effective provisions to ensure speedy payment of cane price arrears.

To implement the provisions of the aforesaid Act more effectively and to make payment of cane price arrears to the farmers expeditiously, it has been decided to make a provision in the aforesaid Act that if the concerned defaulter Sugar Mill / Unit / Company has given any loan under the legal arrangement to any Subsidiary Company, Associate Company or other Company, or has invested and in such business

which is being carried out by that Associate Company, Subsidiary Company, in sugar sector or in any other sector within the State, in which any department of the Government of Uttar Pradesh or any Corporation or Board or any other Institution constituted under statutory rules in relation to that business by inserting a proviso and an explanation to sub-section (4) of section 17.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 504 राजपत्र–2021–(1133)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 143 सा0 विधायी–2021–(1134)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

504 RPH (sugarcane) 2021 data 4e Makeup